

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अंतर्गत तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)/ तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/लेखा सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु
विज्ञापन(सं0-01 / 2021-22)

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक- 4729, दिनांक 04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक-6440, दिनांक -17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य(संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक-848, दिनांक-21.03.20217 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंडों तथा ग्राम पंचायत के स्तर पर संविदा आधारित सृजित पद यथा तकनीकी सहायक(सहायक अभियन्ता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) एवं लेखा सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति (पूर्णतया संविदा के आधार पर) की जानी है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है :-


पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल पद	दिव्यांग हेतु पद
तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष)	4	1	1	1	0	7	0
तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	16	4	6	3	4	33	2 प्रवर्ग -क-1 प्रवर्ग - ख-1 (क्षैतिज रूप से)
लेखा सहायक	2	0	0	1	1	4	0

उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (<https://applyrdd.jharkhand.gov.in>) के माध्यम से दिनांक 27.09.2021 से 21.10.2021 तक समर्पित कर सकते हैं।

नोट :- निर्गत विज्ञापन संख्या 01/2021-22 की विशेष जानकारी/ नियुक्ति हेतु शर्तें/शैक्षणिक योग्यता के लिए बोकारो जिले के वेबसाईट www.bokaro.nic.in पर देखा जा सकता है।

हो/
उपायुक्त,
बोकारो।

प्रतिलिपि :- ज्ञापांक 473 /मनरेगा, बोकारो/ दिनांक 18/9/2021
जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में उक्त सूचना को प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (DIO), बोकारो को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना/विज्ञापन एवं विहित प्रपत्र को जिले के वेबसाईट www.bokaro.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


18.9.2021
उपायुक्त,
बोकारो।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अंतर्गत तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) / तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) / लेखा सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन (सं.-01 / 2021-22)

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक- 4729, दिनांक 04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक-6440, दिनांक -17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य(संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक-848, दिनांक-21.03.20217 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंडों तथा ग्राम पंचायत के स्तर पर संविदा आधारित सृजित पद यथा तकनीकी सहायक(सहायक अभियन्ता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) एवं लेखा सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति (पूर्णतया संविदा के आधार पर) की जानी है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है :-

पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल पद	दिव्यांग हेतु पद
तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष)	4	1	1	1	0	7	0
तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	16	4	6	3	4	33	2 प्रवर्ग -क-1 प्रवर्ग - ख-1 (क्षैतिज रूप से)
लेखा सहायक	2	0	0	1	1	4	0

❖ उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट-बढ़ सकती है।

❖ नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा जिला हेतु निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

2. तकनीकी सहायक(सहायक अभियन्ता के समकक्ष), तकनीकी सहायक(कनीय अभियन्ता के समकक्ष) एवं लेखा सहायक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अर्हताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

योग्यता :-

पद	शैक्षणिक योग्यता
तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	<ol style="list-style-type: none"> अनिवार्य योग्यता - सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०ई० या बी०टेक अनिवार्य योग्यता होगी। अतिरिक्त योग्यता - <ol style="list-style-type: none"> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम०टेक० तथा पी०जी०डी०सी०ए०/एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।
तकनीकी सहायक(कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	<ol style="list-style-type: none"> अनिवार्य योग्यता- सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। अतिरिक्त योग्यता - <ol style="list-style-type: none"> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०टेक०/बी०ई०,

	<p>बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।</p> <p>(c) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक में 5 घटा दिया जायेगा।</p>
लेखा सहायक	<p>1. अनिवार्य योग्यता – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम0 ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम0 न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम0 उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परंतु जिन्होंने तत्पश्चात् एम0कॉम0 किया हो, तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम0 के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे बी0कॉम0 ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता—</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम0, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।</p>

उपर्युक्त वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगी।

3. आयु सीमा :- उपर्युक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी (सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प 7636, रॉची दिनांक 12.10.18)। आयु सीमा दिनांक 01.01.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम :-

क्रम	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनो के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

4. परिलिखित – प्रधान सचिव, ग्रा0वि0वि0, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या N 1742 दिनांक 03.07.2019 द्वारा निम्न विवरणी के अनुसार मासिक संविदा राशि देय होगी तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित देय होगी।


पदनाम	Monthly Honorarium (In Rs.) for Less than 5 years Experience	Monthly Honorarium (In Rs.) for 5 years or more Experience
तकनीकी सहायक(सहायक अभियन्ता के समकक्ष)	19234.00	19734.00
तकनीकी सहायक(कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	17520.00	18020.00
लेखा सहायक	10000.00	10500.00

5. नियुक्ति हेतु शर्तें :-

- राष्ट्रीयता – आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आरक्षण – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों (OBC I and OBC II) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर बोकारो जिला के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिलाओं एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा।
- दिव्यांगता के दावा हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा (झारखंड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक -14/आ0नी0-04-05/2016 का0 2249/राँची दिनांक 03.04.2018 के आलोक में) निर्गत निःशक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं वैसे अभ्यर्थियों को अनुमान्य क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।
- स्थानीयता के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 प्रभावी होगा एवं झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची का पत्रांक 5994 दिनांक 18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसकी वैधता दो वर्ष रहेगी।
- सभी शैक्षणिक योग्यतायें राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान यथा UGC/AICTE/DEB(Distance Education Bureau) से मान्यता प्राप्त संस्थान का ही मान्य होगा।
- (i) तकनीकी सहायक(सहायक अभियन्ता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) एवं लेखा सहायक के पद हेतु अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा आवेदन के साथ यह शपथ-पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका शपथ-पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
(ii) अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा।
- इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा ना ही अभ्यर्थी इस संबंध में दावा कर सकते हैं।
- उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों की दुगुनी संख्या में "प्रारम्भिक मेधा सूची" से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दक्षता परीक्षा ली जाएगी।
- प्रारम्भिक चरण में इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषपत्र पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके




- सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
11. संविदा के आधार पर नियुक्ति नियमावली मार्गदर्शिका का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
 12. तकनीकी सहायक(सहायक अभियन्ता के समकक्ष), तकनीकी सहायक(कनीय अभियन्ता के समकक्ष) एवं लेखा सहायक के पदों पर चयन बोकारो जिला के लिए किया जायेगा, यह पद जिला स्तरीय होगा। इन तीन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन संबंधित जिला के किसी भी प्रखण्ड में करने के लिए उपायुक्त, बोकारो सक्षम होंगे एवं उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।
 13. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
 14. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति-प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (अनुमान्य होने पर) एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि किसी अंक प्रमाण पत्र में ग्रेड/सी.जी.पी.ए. का उल्लेख हो तो अभ्यर्थी द्वारा अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से उसे अंक/प्रतिशत में आंतरण कराकर प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
 15. आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी।
 16. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तैयार मेधा सूची से अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र का सत्यापन इत्यादि गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
 17. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
 18. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।
 19. अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधी अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
 20. उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (<https://applyrdd.jharkhand.gov.in>) के माध्यम से दिनांक 27.09.2021 से 21.10.21 तक समर्पित कर सकते हैं।


18.9.2021
उपायुक्त,
बोकारो।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम :- तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)



1. अभ्यर्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता
5. मोबाईल नम्बर
6. जन्म तिथि.....(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र के अनुसार)
01.01.2021 को उम्र :- दिन माह वर्ष
7. लिंग.....
8. दिव्यांग.....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
9. दिव्यांगता का प्रतिशत
10. शपथ-पत्र(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मूल रूप में संलग्न करें)
11. स्थानीयता (झारखंड का निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कोटि.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-2) का प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

13. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

क्रंम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	बी.ई./बी.टेक (सिविल संकाय)					

14. अतिरिक्त योग्यता -

क्रंम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	एम0टेक					
2	पी0जी0डी0सी0ए0					
3	एम0सी0ए0					
4	एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस					

(नोट- अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें।)

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।


स्थान -

दिनांक-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम :- तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)



1. अभ्यर्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता
5. मोबाईल नम्बर
6. जन्म तिथि.....(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र के अनुसार)
01.01.2021 को उम्र :- दिन माह वर्ष
7. लिंग.....
8. दिव्यांग.....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
9. दिव्यांगता का प्रतिशत
10. शपथ-पत्र(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मूल रूप में संलग्न करें)
11. स्थानीयता (झारखंड का निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कोटि.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-2) का प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

13. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	डिप्लोमा (सिविल संकाय)					

14. अतिरिक्त योग्यता -

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	बी0टेक					
2	बी0ई0, बी0सी0ए0					
3	बी0एस0सी0 कम्प्यूटर					
4	बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स					
5	एम0सी0ए0					
6	पी0जी0डी0सी0ए0					
7	एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस					

(नोट- अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें।)

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।


स्थान -

दिनांक-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम :- लेखा सहायक



1. अभ्यर्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता
5. मोबाईल नम्बर
6. जन्म तिथि.....(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र के अनुसार)
01.01.2021 को उम्र :- दिन माह वर्ष
7. लिंग.....
8. दिव्यांग.....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
9. दिव्यांगता का प्रतिशत
10. शपथ-पत्र(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मूल रूप में संलग्न करें)
11. स्थानीयता (झारखंड का निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कोटि.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-2) का प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

13. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

क्रंम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	बी. कॉम आनर्स / सामान्य बी. कॉम (न्यूनतम 55% अंक के साथ)					

14. अतिरिक्त योग्यता -

क्रंम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	एम0कॉम					
2	बी0सी0ए0					
3	एम0सी0ए0					
4	पी0जी0डी0सी0ए0					
5	एम0एस0सी0					

(नोट- अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें।)

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।

स्थान -

दिनांक-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर